भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1240**

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

**पीएम-पोषण योजना के तहत स्कूलों में गर्म भोजन**

†1240. **श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पीएम-पोषण योजना के अंतर्गत स्कूलों में गर्म भोजन पकाने के लिए सामग्री की लागत बढ़ा दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भी खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि कई राज्य सरकारें उच्च मुद्रास्फीति सूचकांक के कारण पीएम-पोषण के अंतर्गत केंद्र सरकार का हिस्सा बढ़ाने की मांग कर रही हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (घ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गई सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करती है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10.35 लाख से अधिक स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया है। पीएम पोषण योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझेदारी में लागू की गई है। पात्र बच्चों को गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केंद्र सरकार खाद्यान्न की लागत, परिवहन लागत और प्रबंधन निगरानी और विकास (एमएमई) की लागत के लिए 100% सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री की लागत में हाल ही में दो बार वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री की लागत बढ़ाने का उद्देश्य दालों, सब्ज़ियों, खाना पकाने के तेल, अन्य मसालों और ईंधन जैसी सामग्री की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखना है। सामग्री की मौजूदा लागत को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण मज़दूर (सीपीआई-आरएल) सूचकांक के आधार पर संशोधित किया गया है। इससे स्कूलों को छात्रों

को निर्धारित सभी पोषक तत्व प्रदान करने और भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत प्रति छात्र प्रति दिन सामग्री की तुलनात्मक लागत **अनुलग्नक I** में दी गई है।

इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से, खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा प्रदान किया जाता है। खाद्यान्न/फोर्टिफाइड खाद्यान्न का आवंटन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सहमति से द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित खाद्यान्न का आवंटन राज्य नोडल विभाग और एफसीआई को किया जाता है। खाद्यान्नों की लागत के भुगतान को विकेन्द्रीकृत किया गया है ताकि खाद्यान्नों का शीघ्र उठाव और एफसीआई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में जिला अधिकारियों की अधिक हिस्सेदारी और भूमिका सुनिश्चित हो सके, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने में समय अंतराल कम हो गया है। अपने डिपो (और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में प्रमुख वितरण केंद्रों) में पर्याप्त खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना एफसीआई की जिम्मेदारी है। एफसीआई सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न जारी करेगा, जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। एफसीआई ने इस योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एफसीआई और कलेक्टर और/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के नामित व्यक्ति की एक टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण और उनके द्वारा पुष्टि के बाद एफसीआई द्वारा कम से कम एफएक्यू का खाद्यान्न जारी किया जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है। एफसीआई भविष्य में सत्यापन और विश्लेषण के लिए अपने द्वारा आपूर्ति किए गए ऐसे खाद्यान्न के नमूने रखेगा; आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में यह उपलब्ध होगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि पीएम पोषण एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार खाद्यान्न की लागत, परिवहन लागत और प्रबंधन निगरानी और विकास (एमएमई) की लागत के लिए 100% सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन व्यापक वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों, कार्य दिवसों और स्कूलों के कवरेज पर विस्तृत जिला-वार महत्वपूर्ण जानकारी; स्कूलों में नामांकन; खाद्यान्न का उपयोग, खाना पकाने की लागत का उपयोग, परिवहन लागत, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई), रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान, रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई उपकरणों की खरीद आदि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से लगभग 9,000 करोड़ रुपये की लागत से 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है।

****

अनुलग्नक-I

**माननीय सांसद श्री टी.एम. सेल्वागणपति द्वारा पीएमपोषण योजना के तहत स्कूलों में गर्म भोजन के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा के के अतारांकित प्रश्न संख्या 1240 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।**

**पीएमपोषण योजना के तहत सामग्री लागत**

| कक्षाएं | दिनांक 30.11.2024 तक सामग्री लागत (रु. में) | सामग्री लागत दिनांक 01.12.2024 से प्रभावी (रुपये में) | सामग्री लागत दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी (रुपये में) |
|---|---|---|---|
| बाल वाटिका एवं प्राथमिक | 5.45 | 6.19 | 6.78 |
| उच्च प्राथमिक | 8.17 | 9.29 | 10.17 |